

07.03.2024

पत्रावली आज पेश हुई। प्रार्थी की ओर से अधिवक्ता श्री अशोक पुरोहित उपस्थित। अप्रार्थी की ओर से अधिवक्ता श्री राजेन्द्रसिंह आढा उपस्थित। प्रार्थी अधिवक्ता ने एक प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन किया है कि वर्तमान में पक्षकारान के बीच अब कोई विवाद नहीं है। अतः इस निगरानी आवेदन को जरिए Not Press / विद्वावल के निस्तारित कराना फरमावें। प्रार्थना पत्र को शामिल मिसल किया गया एवं प्रार्थना पत्र का अवलोकन किया गया। अप्रार्थी अधिवक्ता को कोई ऐतराज नहीं होने से एवं प्रार्थी द्वारा इस निगरानी प्रार्थना पत्र को जरिए Not Press / विद्वावल किए जाने प्रार्थी का यह निगरानी प्रार्थना पत्र इसी स्तर पर खारिज किया जाता है। निर्णय सरे इजलास सुनाया गया। पत्रावली फ़ैसल शुमार होकर नंबर से कम हो।



(शुभम चौधरी)
जिला कलक्टर, सिरोही

Not
Press
321.6
7-4-24

